



प्रधानमंत्री कसिान मानधन योजना के 5 वर्ष

प्रलिस के लयि:

प्रधानमंत्री कसिान मानधन योजना (PM-KMY), प्रधानमंत्री कसिान सममान नधि (PM-KISAN), राष्ट्रीय सूचना वजिज्ञान केंद्र, भारतीय जीवन बीमा नगिम (LIC), कॉमन सर्वसि सेंटर (CSC), राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP),

मेन्स के लयि:

प्रधानमंत्री कसिान मानधन योजना (PM-KMY) के प्रभाव का समालोचनात्मक वशिलेषण कीजयि

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यो?

12 सतिंबर, 2019 को शुरू की गई प्रधानमंत्री कसिान मानधन योजना (PM-KMY) ने हाल ही में सफलतापूर्वक पाँच वर्ष पूरे कर लयि।

प्रधानमंत्री कसिान मानधन योजना (PM-KMY) क्या है?

परचिय:

○ पात्रता: यह योजना सभी जोतधारक लघु एवं सीमांत कसिानों (देश में वे कसिान जनिके पास दो हेकटेयर तक भूमि है) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लयि शुरू की गई है।

वर्तमान स्थिति:

○ अगस्त, 2024 तक 23.38 लाख कसिान इस योजना के तहत पंजीकृत हो चुके हैं, जनिमें बहिर और झारखंड पंजीकरण में अग्रणी हैं।
○ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक कसिान पंजीकृत हो चुके हैं।
○ यह व्यापक भागीदारी छोटे और सीमांत कसिानों के बीच बढ़ती जागरूकता एवं योजना को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है, जो इस कमज़ोर वर्ग के लयि वित्तीय स्थिरता सुनिश्चि करने में इसके महत्त्व को दर्शाती है।

PM-KMY के अंतरगत प्रमुख लाभ:

○ मासिक अंशदान: नामांकन के दौरान अंशदाता की आयु के आधार पर अंशदान 55 रुपए से 200 रुपए तक कयिा जाता है।

समान सरकारी अंशदान: केंद्र सरकार पेंशन नधि में अभिदाता/अंशदाता के बराबर राशि का अंशदान करती है।

○ न्यूनतम सुनिश्चि पेंशन: 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर प्रत्येक अंशदाता को 3,000 रुपए प्रतिमाह की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन दी जाती है।

○ पारिवारिक पेंशन: अंशदाता की मृत्यु पर, उसके पति/पत्नी को 1,500 रुपए प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन मलिंगी, बशरते कवि पहले से ही योजना के लाभार्थी न हों।

○ PM-KISAN लाभ: छोटे एवं सीमांत कसिान (SMF) स्वतः डेबिट हेतु आवश्यक स्वीकृति के साथ स्वैच्छिक योगदान के लयि अपने प्रधानमंत्री कसिान सममान नधि (PM-KISAN) लाभ का उपयोग कर सकते हैं।

नरिधारति अवधि से पूर्व पेंशन योजना से अलग होना:

○ यदि अभिदाता 60 वर्ष की आयु से पूर्व योजना से अलग हो जाता है तो उसे उसके अंशदान के साथ-साथ संचि ब्याज भी मलिंगी।

○ यदि किसी अभिदाता की पेंशन प्राप्ति के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उसके जीवनसाथी को अभिदाता को प्राप्त होने वाली राशि के 50% के बराबर पारिवारिक पेंशन अर्थात 1500 रुपए प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन का हकदार माना जाएगा।

○ अभिदाता या उसके पति/पत्नी की मृत्यु होने पर शेष धनराशि नधि में वापस कर दी जाएगी।

योजना का प्रबंधन:

○ पेंशन नधि का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा नगिम (LIC) द्वारा तथा पंजीकरण कॉमन सर्वसि सेंटर (CSC) और राज्य सरकारों के माध्यम से कयिा जाता है।

प्रधानमंत्री कसिान सममान नधि (PM-KISAN)

- **परिचय:**
 - इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार सभी जोतधारक किसानों के बैंक खातों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे अंतरि करती है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो।
 - इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था।
- **वित्तपोषण और कार्यान्वयन:**
 - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका 100% वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
 - इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- **लाभार्थियों का अभिनिर्धारण:**
 - लाभार्थी किसान परिवारों के अभिनिर्धारण की पूरी जम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है।
- **उद्देश्य:**
 - प्रत्येक फसल चक्र के अंत में प्रत्याशति कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उपयुक्त उपज सुनिश्चिती करने के लिये विभिन्न कृषि आदान प्राप्त करने में छोटे एवं सीमांत किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना।
 - ऐसे खर्चों को वहन करने के लिये साहूकारों के चंगुल में फँसने से उन्हें बचाना तथा कृषि गतिविधियों में उनकी नरितरता सुनिश्चिती करना।

कृषि से संबंधित सरकार की प्रमुख पहल क्या हैं?

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचिती योजना (PMKSY)
- राष्ट्रीय कृषि ई-बाजार (e-NAM)
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- डिजिटल कृषि मिशन
- एकीकृत किसान सेवा मंच (UFSP)
- कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP-A)
- प्रवोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)

नषिकर्ष

अपने कार्यान्वयन के पाँच वर्षों में PM-KMY ने पूरे भारत में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) को बहुत हद तक सशक्त बनाया है। इस योजना की प्रमुख उपलब्धियों में से एक किसानों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने में इसकी भूमिका है, जिनमें से कई को कृषि की मौसमी प्रकृति और आय में उतार-चढ़ाव के कारण अनश्चिती भवषिय का सामना करना पड़ता है। सेवानवृत्त के वर्षों के लिये पेंशन सुनिश्चिती करके, इस योजना ने ग्रामीण आबादी के लक्ष्मामाजकि सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण अंतर को दूर किया है। वगित पाँच वर्षों में इसकी सफलता देश के 'अन्नदाता' के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. भारत में छोटे और सीमांत किसानों (SMF) की वित्तीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) के प्रभाव पर चर्चा कीजिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????

प्रश्न. 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजना के अंतर्गत नमिनलखिति में से कनि-कनि उद्देश्यों के लिये कृषकों को अल्पकालीन ऋण सहायता उपलब्ध कराया जाता है? (2020)

1. फार्म परसिंपत्तियों के रख-रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिये
2. संयुक्त कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मनी ट्रकों के क्रय के लिये
3. फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिये
4. फसल कटाई के बाद खर्चों के लिये
5. परिवार के लिये घर नरिमाण तथा गाँव में शीतागार सुवधि की स्थापना के लिये।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3 और 4

- (c) केवल 2, 3, 4 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में नमिनलखिति में से कनिहें कृषिमें सार्वजनकि नविश माना जा सकता है। (2020)

1. सभी फसलों के कृषिउत्पाद के लयि नयूनतम समर्थन मूल्य नरिधारति करना
2. प्राथमकि कृषि साख समतियिों का कंप्यूटरीकरण
3. सामाजकि पूंजी वकिास
4. कृषकों को नःशुल्क बजिली की आपूर्ति
5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी
6. सरकारों द्वारा शीतागार सुवधिओं को स्थापति करना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि-

- (a) केवल 1, 2 और 5
(b) केवल 1, 3, 4 और 5
(c) केवल 2, 3 और 6
(d) 1, 2, 3, 4, 5 और 6

उत्तर: (c)

??????

प्रश्न. नयूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आप क्या समझते हैं? नयूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का नमिन आय के जाल से कसि प्रकार बचाव करेगा? (2018)

